कोठारी आयोग

4 marks शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम → आयोग ने राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में शिक्षा का निम्नांकित पंचमुखी कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

i) उत्पादन में वृद्धि
ii) सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकीकरण एवं जनतंत्र को दृढ़ बनाना।
iii) प्रजातंत्र की सुदृढ़ता
iv) आधुनीकीकरण की प्रक्रिया को तेज करना
v) सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास

I उत्पादन में वृद्धि → इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए -

i) विज्ञान शिक्षा को प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बनाना
ii) कार्यानुभव को सामान्य शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाया जाय
iii) माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायिकरण किया जाय और उच्च शिक्षा में कृषि एवं तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल दिया जाय
iv) विश्वविद्यालय स्तर पर वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा और शोध का विकास किया जाय इसमें कृषि और सम्बद्ध विचारों पर विशेष बल दिया जाय।

II सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकीकरण।

i) सार्वजनिक शिक्षा के लिए सामान्य स्कूल प्रणाली हो जहाँ अच्छी शिक्षा आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर दी जाय।

ii) सभी शैक्षिक स्तरों पर समाज और राष्ट्रसेवा को शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाया जाय।

iii) भावनात्मक एकता के लिए उपयुक्त भाषानीति अपनायी जाय सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किया जाय और हिन्दी को संपन्न बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाय

iv) विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रम इस प्रकार के हो जिससे बालकों का लोकतंत्रीय समाजवादी सिद्धान्तों में विश्वास दृढ़ हो और उनमें राष्ट्रीय चेतना विकसित हो।

III प्रजातंत्र को सुदृढ़ता

i) चौदह वर्ष तक कि बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना।

ii) बिना किसी भेद-भाव के सभी बालकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना।

iii) वयस्क शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करना।

iv) माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का विकास करके सुयोग्य तथा कुशलनेतृत्व का प्रशिक्षण देना।

IV आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज करना

i) तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करना

ii) आधुनीकीकरण करने के लिए शिक्षा को एक साधन के रूप में स्वीकार किया जाय।

iii) बालकों में जिज्ञासा उचित रुचियां एवं प्रवृत्तियां पैदा करना जिससे उनमें स्वतंत्र चिंतन एवं निर्णय लेने की आदत का विकास हो सके।

iv) सामान्य व्यक्ति के शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाया जाय

V सामाजिक नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास

i) समस्त शिक्षण संस्थाओं में नैतिक सामाजिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा पर बल दिया जाय।

ii) प्राथमिक स्तर पर इन मूल्यों की शिक्षा, रोचक कहानीयों द्वारा दी जाय।

iii) विश्वविद्यालय स्तर पर सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए।

iv) माध्यमिक स्तर पर इन मूल्यों के संबंध में शिक्षक और शिक्षार्थी मिलकर विचार विमर्श करें।

v) प्रत्येक कक्षा के समय चक्र और पाठ्यक्रम में इस शिक्षा का भी एक निश्चित स्थान होना चाहिए।

vi) बालकों में उचित मूल्यों को प्रतिष्ठित किया

जाय

शिक्षा की संरचना एवं स्तर → इसमें 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा की संरचना

1) (1-3 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा)
2) 4 या 5 वर्ष की निम्नप्राथमिक शिक्षा
3) 3 वर्ष तक उच्चप्राथमिक शिक्षा
4) 2 या 3 वर्ष तक माध्यमिक शिक्षा
5) 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा

उच्चशिक्षा की नवीन संरचना →

i) 3 वर्ष का degree Course
ii) 2 वर्ष का P.G. Cource

शिक्षकों की स्थिति →

वेतन → सम्बन्धीय

i) केन्द्र सरकार द्वारा शिक्षकों का न्यूनतम वेतनक्रम निर्धारित किया जाय।
ii) राजकीय तथा Private सभी विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन क्रम समान हो
iii) विश्वविद्यालय एवं उनसे संबद्ध कालेजों के शिक्षकों के वेतनक्रम में पर्याप्त वृद्धि की जाय।

कार्य एवं सेवादशाएं →

i) प्रत्येक शिक्षण संस्थान में कुशल कार्य के लिए न्यूनतम सुविधाएं प्रदान की जाए।
ii) शिक्षकों को अपनी व्यवसायिक उन्नति करने के लिए अवसर प्रदान किए जाय।
iii) जो शिक्षक असाधारण कार्य कर रहे है उन्हें अग्रिम वेतन वृद्धि दी जाय।
iv) सभी शिक्षकों के लिए त्रिमुखी लाभ योजना लागू होनी चाहिए।
v) शिक्षकों के कार्य करने के घंटे निश्चित करते समय उनके द्वारा किए जाने वाले अन्य कार्य को भी ध्यान में रखा जाय।
vi) निजी विद्यालयों के शिक्षकों की सेवादशाएं शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों के समान होनी चाहिए।
vii) शिक्षकों को आवास सुविधाएं दी जाय।
viii) चुनाव में भाग लेने पर शिक्षकों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न लगाया जाय।
ix) शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 65 वर्ष होनी चाहिए।

अध्यापक शिक्षा →

प्रशिक्षण शिक्षा में सुधार →

i) प्रशिक्षण संस्थाओं में पाठ्यक्रम की दिशा और विषयवस्तु इस प्रकार की होनी चाहिए कि छात्र अध्यापकों को पाठ्यविषयों की जटिलता और उद्देश्यों का स्पष्ट ज्ञान हो सके।

ii) अनुसंधान द्वारा अध्यापक शिक्षा को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाए

iii) शिक्षण विधियों तथा मूल्यांकन विधियों में भी सुधार की आवश्यकता है।

iv) विशिष्ट पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम का विकास करना चाहिए अध्यापक

v) अध्यापक शिक्षा पर समय-2 पर विचार करके उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने चाहिए।

प्रशिक्षण की अवधि →

i) प्राइमरी अध्यापक के लिए Secondary शिक्षा के पश्चात् दो वर्ष का प्रशिक्षणकाल रखा जाय।

ii) माध्यमिक अध्यापक के लिए स्नातक डिग्री के पश्चात् एक वर्ष का प्रशिक्षण रखा जाय उसे शीघ्र ही दो वर्ष का करने का प्रयत्न किया जाय यदि ऐसा सम्भव न हो तो कार्यदिवस 230 कर दिए जाए।

iii) शिक्षा के स्नातकोत्तर कोर्स की अवधि बढ़ाकर चार सत्र अथवा 1.5 वर्ष कर दी जाय।

प्रशिक्षण संस्थाओं में सुधार →

i) माध्यमिक प्रशिक्षण के कॉलेज में पढ़ाने हेतु अध्यापकों के पास दो स्नातकोत्तर उपाधियाँ होनी चाहिए साथ ही शिक्षा की उपाधि भी होनी चाहिए कुछ अध्यापकों के पास Doctor की उपाधि भी होनी चाहिए।

ii) मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, विज्ञान या गणित जैसे विषयों के लिए योग्य विशेषज्ञों की नियुक्ति होनी चाहिए।

iii) प्रशिक्षण कॉलेजो में प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी के विद्यार्थियों को ही प्रवेश देने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें उपयुक्त छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए।

iv) प्राथमिक प्रशिक्षण कॉलेजो को अध्यापकों के लिए या तो शिक्षा में M.A अथवा किसी अन्य विषय की स्नातकोत्तर उपाधि के साथ B.Ed अवश्य होना चाहिए।

v) प्रशिक्षण संस्थाओं में शुल्क न लेकर छात्रवृत्तियां देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

vi) प्रत्येक प्रशिक्षण कॉलेज से सम्बद्ध एक प्रयोगात्मक विश्वविद्यालय होना चाहिए।

vii) सेवारत शिक्षकों के लिए अंशकालीन प्रशिक्षण व पत्रव्यवहार की शिक्षा की सुविधाएं दी जानी चाहिए।

viii) बड़े विश्वविद्यालयों में नये प्रवक्ताओं के Orientation कार्य के लिए स्थायी staff की नियुक्ति की जा सकती है।

UMB कार्यानुभव →

कार्यानुभव का शाब्दिक अर्थ है "कार्य करके अनुभव प्राप्त करना" शिक्षा प्रक्रिया में कार्यानुभव

को एक पद्धति के रूप में स्वीकार किया गया है जिसमें क्रियापक्ष और सिद्धान्तपक्ष में सहसम्बन्ध स्थापित कर लिया जाता है विद्यार्थी इसी किसी सिद्धान्त को तभी स्वीकार करता है जब उसे स्वयं करके समझ लेता है इस प्रकार कार्यानुभव सीखने की एक प्रवृत्ति है जो बालकों को कार्य करने की प्रेरणा देती है तथा उत्पादनशीलता की क्षमता का विकास करती है गाँधी जी कि बेसिक शिक्षा पद्धति कार्यानुभव पर ही आधारित थी।

कोठारी आयोग के अनुसार
"कार्यानुभव से अभिप्राय स्कूल, घर, कार्यशाला, खेल, कार्यखानों या किसी भी अन्य उत्पादक परिस्थिति में किसी उत्पादक कार्य में भाग लेने से है।"

शिक्षा आयोग ने कार्यानुभव की आवश्यकता महसूस करते हुए लिखा है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर कार्यानुभव एक अभिन्न अंग के रूप में लागू किया जाना चाहिए सैद्धान्तिक और पुस्तकीय शिक्षा में सुधार लाने के लिए कार्यानुभव की आवश्यकता है।

कार्यानुभव के उद्देश्य →

i) बालकों को कार्यजगत से सम्बन्धित करना और उसकी रुचियों एवं अभिरुचियों के प्रदर्शन के लिए वास्तविक अवसर प्रदान करना।

ii) कार्यानुभव बालक के शरीर और मस्तिष्क के बीच सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होगा। कार्यानुभव शिक्षा के व्यवसायीकरण में सहायक हो सकता है।

iii) बालकों में श्रम के प्रति आदर भाव जाग्रत करना।

iv) छात्रों की उत्पादक शक्ति का विकास करके और विज्ञान के प्रयोग द्वारा राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करना

v) बालको को "कमाओ और सीखो" के सिद्धान्त पर चल सकने के योग्य बनाना।

महत्ता (Importance) →

- शारीरिक श्रम व मानसिक श्रम के बीच भेद कर सकता है।
- कार्यानुभव युवक को कामकाजी दुनिया में प्रवेश करा सकता है और रोजगार की सम्भावना भी बढ़ सकती है।
- छात्रों की उत्पादक शक्ति का विकास करके और विज्ञान का प्रयोग करके राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि हो सकती है छात्रों में कठिन काम और उत्तरदायित्व की आदतों का निर्माण हो सकता है।
- जनसमूह और शिक्षित व्यक्तियों के बीच भेदभाव समाप्त हो जाता है व्यक्ति और समुदाय

के बीच संबंध प्राप्त हो सकते हैं इससे राष्ट्रीय एकीकरण की सम्भावनाएं भी बढ़ सकती है। जो समाज औद्योगीकरण की ओर बढ़ रहा है उसके लिए कार्यानुभव उपयोगी होना चाहिए।

प्राथमिक स्तर पर कार्यानुभव लागू करने से बालक को नकद या उपहार के रूप में कुछ प्राप्त हो सकता है इससे बालक की शिक्षा पर होने वाले व्यय की समस्या भी हल हो सकती है।

कोठारी आयोग ने कार्यानुभव की रूपरेखा विभिन्न स्तरों पर इस प्रकार व्यक्त की है।

(I) निम्नप्राथमिक स्तर – कागज की कटाई, मिट्टी के प्रतिरूप बनाना, कताई, साधारण सिलाई, घर के अन्दर साधारण पौधे लगाना, बागवानी आदि।

(II) उच्च प्राथमिक स्तर – बेंत और बाँस कार्य, चमड़े का कार्य, मिट्टी के बर्तन बनाना, सुई का काम, बुनाई, बागवानी, प्रतिरूप बनाना, खेती का काम, लकड़ी की नक्काशी आदि।

शैक्षिक अवसरों की समानता –

1) चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक समस्त प्राथमिक शिक्षा को निशुल्क कर दिया जाय।

2) पांचवी योजना के अंत तक निम्न माध्यमिक शिक्षा को भी निशुल्क कर दिया जाय।

3) आगामी 10 वर्षों में उच्चतर माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा को योग्य तथा धनहीन छात्रों के लिए निशुल्क कर देना चाहिए।

4) विद्यार्थी के शिक्षा संबंधी अन्य खर्चों में कमी लाने के प्रयास किए जाय इसके लिए आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं –

a) छात्रों को पाठ्यपुस्तको व लेखन सामग्री की सहायता।

b) पुस्तक बैंको की स्थापना।
पुस्तकालय सुविधाओं का विस्तार।

c) प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए पुस्तकीय अनुदान।

d) आयोग ने शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर अधिकाधिक छात्रवृत्तियां देने का सुझाव दिया है।

e) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना का विस्तार करने का भी सुझाव दिया गया है।

विद्यालयी शिक्षा का विस्तार।

पूर्व प्राथमिक स्तर – पूर्व प्राथमिक स्तर के विस्तार, विकास एवं निरीक्षण के लिए हर

राज्य में एक राज्य शिक्षण संस्थान बनाया जाय
पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए
व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहित किया
जाय। और उन्हें आर्थिक सहायता दी जाय
अनुसंधान द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा को
और प्रभावकारी एवं कमखर्चीली बनाने की
योजना विकसित कि जाय। शिक्षण विधि
में खेल द्वारा शिक्षा पर बल दिया जाय
और जिला एवं राज्य स्तर पर "खेल केन्द्र"
स्थापित किए जाए।

प्राथमिक शिक्षा → भारतीय संविधान में निर्धारित
अनुच्छेद 45 के अनुसार 14 वर्ष की आयु के
बालकों को अनिवार्य मुक्त शिक्षा दी जाय
प्राथमिक स्कूलों का विस्तार इस प्रकार
किया जाय कि प्रत्येक छात्र को lower
primary शिक्षा प्राप्त करने के लिए
एक मील से कम और upper primary
शिक्षा के लिए तीन मील से कम चलना
पड़े प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन
रोकने के हर संभव प्रयास किए जाए
कक्षा 1 में प्रवेश के पहले एक वर्ष का
पूर्व विद्यालय कोर्स चलाया जाय शिक्षा
खेल द्वारा दी जाय जिससे बालकों का
पढ़ने में मन लगे कुछ छात्र जो पढ़ने में
कमजोर होते हैं उनके लिए अतिरिक्त
शिक्षा (Pastime education) की व्यवस्था
की जाय जिन्होंने Primary स्तर की शिक्षा
पूरी नहीं की है उनके लिए प्रौढ़ कक्षाए
चलायी जाय।

माध्यमिक शिक्षा के प्रसार संबंधी सुझाव →

हर जिले में आवश्यकतानुसार माध्यमिक शिक्षा के
प्रसार की योजना बनाकर उसे 10 वर्षों की
अवधि में पूरा किया जाय इसके लिए हर जिले
में आवश्यकतानुसार माध्यमिक ~~जिले~~ विद्यालयों
की स्थापना की जाय तथा इस दशा में
किए गए व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहन
दिया जाय।
लड़कियों के लिए और अधिक माध्यमिक
विद्यालय खोले जाए दूर से आने वाली
लड़कियो के लिए छात्रावास बनाए और उनके
लिए माध्यमिक स्तर की शिक्षा निःशुल्क की
जाय और निर्धन छात्राओं को छात्रवृत्तियां
प्रदान की जाय।
माध्यमिक स्तर पर होने वाले अपव्यय
~~म~~ और अवरोधन को रोका जाय
SC/ST के बच्चों को माध्यमिक शिक्षा की
व्यवस्था हेतु विशेष योजनाए बनायी जाय
अंशकालिक माध्यमिक शिक्षा कि भी आवश्यकतानुसार व्यवस्था किया जाय विशेषकर
व्यवसायिक की
सहशिक्षा के लिए लोगों को तैयार

किया जाय।

पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव

पूर्व प्राथमिक स्तर →

i) खाने और पहनने का कौशल
ii) सफाई
iii) बातचीत
iv) सामाजिक व्यवहार
v) खेलकूद
vi) सृजनात्मक कार्य
vii)

प्राथमिक स्तर →

मातृभाषा (क्षेत्रीय भाषा)
व्यवहारिक गणित
भौतिक पर्यावरण का अध्ययन
सृजनात्मक क्रियायें
कार्यानुभव
समाजसेवा, स्वास्थ्य शिक्षा, खेलकूद व व्यायाम आदि

उच्च प्राथमिक अथवा निम्न माध्यमिक स्तर

मातृभाषा (क्षेत्रीय भाषा)
हिन्दी अथवा अंग्रेजी
गणित
विज्ञान
सामाजिक अध्ययन
कला
कार्यानुभव या शिल्पकार्य
समाजसेवा
स्वास्थ्यसेवा

माध्यमिक स्तर

मातृभाषा
हिन्दी अथवा अन्य कोई संघीय भाषा
कोई यूरोपीय भाषा
गणित
सामान्य विज्ञान
सामाजिक विज्ञान
कला
कार्यानुभव
समाजसेवा
स्वास्थ्य सेवा / शिक्षा
नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा

उच्चतर माध्यमिक स्तर

मातृभाषा व
हिन्दी अथवा कोई अन्य संघीय भाषा,
आधुनिक विदेशी भाषा
इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र कला, जीवविज्ञान, गृहविज्ञान, भूगर्भशास्त्र में से कोई तीन विषय इसके अतिरिक्त समाजसुधार व स्वास्थ्य शिक्षा

4 Marks

त्रिभाषायी सूत्र →

कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र के क्रियान्वयन का विस्तारित अध्ययन और सूक्ष्म विश्लेषण किया परिणामस्वरूप वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि इसके क्रियान्वयन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसने अपने प्रतिवेदन में इन कठिनाइयों का वर्णन किया है फिर सूत्र के आधारभूत सिद्धान्तों का उल्लेख किया है और अंत में संशोधित त्रिभाषा सूत्र को लेखबद्ध किया है आयोग ने त्रिभाषा सूत्र का रूप इस प्रकार अंकित किया है —

1. मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा
2. संघ की राज्यभाषा या सहराज्य भाषा
3. एक आधुनिक भारतीय भाषा – विदेशी भाषा (जो No. 1 और No. 2 के अंतर्गत छात्रों द्वारा नहीं चुनी गयी हो और जो शिक्षा का माध्यम न हो।

I. निम्न प्राथमिक स्तर – (1 से 5 तक)

i) एक भाषा – मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा

II (a) उच्च प्राथमिक (6 से 8)

i) मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा

ii) हिन्दी या अंग्रेजी

III निम्न माध्यमिक स्तर (9 से 10)

I अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में सामान्य रूप से निम्नलिखित भाषाएं होनी चाहिए —

a) मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा

b) उच्च या निम्न स्तर की हिन्दी, ~~उच्च व निम्न स्तर की हिन्दी~~

II हिन्दी भाषी क्षेत्रों में सामान्यतः निम्नलिखित भाषाएं होनी चाहिए-

i) मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा

ii) अंग्रेजी या हिन्दी भाषा

iii) हिन्दी के अतिरिक्त एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा

विद्यालयी शिक्षा की शिक्षणविधियों संबंधी सुधार-

पाठ्यपुस्तकों के संबंधी सुझाव →

विद्यालयी शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श →

प्राथमिक स्तर पर – छात्रों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का ~~समाधान~~ सामना करना पड़ता है जैसे कि विद्यालय में समायोजन न कर पाना पढ़ाई में मन न लगना, कोई विषय समझ में न आना इत्यादि अतः इन शैक्षिक समस्याओं के निदान हेतु शैक्षिक निर्देशन व परामर्श की आवश्यकता होती है अतः इस सम्बन्ध में आयोग ने निम्न सुझाव दिए हैं —

1) छात्र - छात्राओं हेतु शैक्षिक निर्देशन व परामर्श

की व्यवस्था प्राथमिक स्तर से ही की जानी चाहिए।

ii) सभी जिलों में कम से कम एक विद्यालय में निर्देशन की समुचित व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए।

iii) शिक्षकों को सेवारत कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्देशन व परामर्श में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

iv) शैक्षिक निर्देशन द्वारा विशिष्ट बालकों हेतु विशेष शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए।

v) निर्देशन में प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था, राजकीय मार्गदर्शन ब्यूरो व प्रशिक्षण महाविद्यालयों में की जानी चाहिए।

मूल्यांकन (विद्यालयी शिक्षा में) →

विश्वविद्यालय शिक्षा →

विश्वविद्यालय शिक्षा में प्रशासन सम्बन्धी सुझाव →

पाठ्यक्रम के संबंध में सुझाव →

शिक्षण में सुधार व शिक्षण विधियां →

शिक्षा का माध्यम →

स्नातक स्तर की शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में देनी चाहिए तथा परास्नातक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम से होनी चाहिए

⇒ शिक्षकों को यथासम्भव द्विभाषी होना चाहिए अर्थात् इन्हें क्षेत्रीय भाषा व अंग्रेजी भाषा दोनों का ज्ञान होना चाहिए।

⇒ वरिष्ठ विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए।

⇒ उच्च शिक्षा में अंग्रेजी के अतिरिक्त उर्दू व रूसी भाषा के शिक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

छात्र संघ व छात्र कल्याण कार्यक्रम सम्बन्धी सुझाव →

कृषि शिक्षा, व्यवसायिक व तकनीकी शिक्षा के संबंध में सुझाव →